पंचायत समिति तीसा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2024 से 03/2025 तक

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति तीसा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि 01-04-2024 से 31-03-2025 तक के दौरान पंचायत समिति तीसा में निम्नलिखित अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव कार्यरत रहे :-

1. समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री राकेश कुमार (तहसीलदार)	02-04-2024 से 02-07-2024 तक
2.	श्री महेश चंद (विकास खंड अधिकारी)	03-07-2024 से 31-03-2025 तक

2. समिति अध्यक्षा

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती कौशल्या देवी	01-04-2024 से 31-03-2025 तक

3. समिति सचिव

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री टेक चंद गुप्ता	01-04-2024 से 14-03-2025 तक

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

पंचायत समिति तीसा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न होने के कारण रोकड़ बही और पास बुक में अन्तर	4.1	0.32
02.	दुकानों के किराये की दुकानों के आबंटन में विविध अनियमितताओं के कारण हुई वित्तीय हानि	6.1 6.2	₹0.72
03.	अनुमोदित दर से अधिक दर से भुगतान के कारण अधिक भुगतान बारे।	8.1	₹0.21
04.	पंचायत समिति के चेयरपर्सन हेतु प्रयुक्त टैक्सी किराये के व्यय में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे।	8.2 - 8.3	₹3.29
05.	सभा निधि से आपूर्तिकर्ता को दोहरा/अनुचित भुगतान करने बारे।	9.1	₹0.28
06.	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।	9.3	₹0.42

(घ) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

पंचायत समिति तीसा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/SML/2025/02 दिनांक 19-06-2025 द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अनुरोध के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर कार्रवाई करके कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में कई वित्तीय अनियमितताएं यथा राशि का दुर्विनियोजन, अधिक/अनुचित भुगतान इत्यादि से सम्बन्धित अनियमितताएं पाई गई थी जिनका समायोजन न किया जाना आपत्तिजनक है। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये तदानुसार कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को शीघ्र अवगत करवाये जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2024 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	-
2.	4.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित।
3.	5.1	अनिर्णीत	-
4.	6.1	अनिर्णीत	-
5.	7.1	अनिर्णीत	-
6.	7.2	अनिर्णीत	-
7.	8.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित।
8.	8.2	अनिर्णीत	-
9.	8.3	अनिर्णीत	-
10.	8.4	अनिर्णीत	-
11.	8.5	अनिर्णीत	-
12.	9.1	अनिर्णीत	-
13.	9.2	अनिर्णीत	-
14.	9.3	अनिर्णीत	-
15.	9.4	अनिर्णीत	-
16.	9.5	अनिर्णीत	-
17.	9.6	अनिर्णीत	-
18.	9.7	अनिर्णीत	-
19.	9.8	अनिर्णीत	-
20.	9.9	अनिर्णीत	-
21.	9.10	अनिर्णीत	-
22.	10.1	अनिर्णीत	-
23.	10.2	अनिर्णीत	
24.	10.3	अनिर्णीत	
25.	10.4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित।
26.	10.5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित।
27.	11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

पंचायत समिति तीसा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 19-06-2025 से 21-06-2025 तक पंचायत समिति तीसा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2024-2025	06/2024	06/2024

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

पंचायत समिति तीसा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹3000/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/SML/2025/08 दिनांक 21-06-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

पंचायत समिति तीसा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) स्वः-स्त्रोत व अनुदान :-

पंचायत समिति तीसा के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक स्वः-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:-

1. **स्वः-स्त्रोत (5th SFC, DPO etc.)**

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2024-25	1193284.00	624334.00	1817618.00	1112727.00	704891.00

2. **अनुदान**

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2024-25	3422.00	96.00	3518.00	0.00	3518.00

कुल योग (1+2) ₹704891.00 + ₹3518.00 = ₹708409.00

(ब) पंचायत समिति तीसा, का दिनांक 31/03/2025 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण।

क्र० सं०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-25
1.	RGSA	17710114416	HPSCB Bhanjraru	3518.00
2.	DPO/5th SFC/Own Sou.	17710103237	HPSCB Bhanjraru	737009.18
			Cash In hand	0.00
			TOTAL	₹740527.18

अन्तर (अ-ब) ₹740527.18 - ₹708409.00 = ₹32118.18

4.2 15वें वित्तायोग का अंकेक्षण अब केवल ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किये जाने के कारण इससे सम्बन्धित वित्तीय विवरण व पैरों इत्यादि का विवरण ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर दिया जायेगा।

4.3 पंचायत समिति के समस्त लेखों का रख-रखाव ऑनलाइन प्रणाली (e-gram swaraaj/ Priya Soft.) में न किये जाने बारे।

निदेशक, पंचायती राज व ग्रामीण विकास हि० प्र० के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-75 दिनांक 24-01-2018 के अंतर्गत समस्त PRIs (पंचायती राज संस्थाओं) को लेखों का रख-रखाव मार्च, 2018 के बाद ऑनलाइन माध्यम में किया जाना अनिवार्य किया गया था।

पंचायत समिति तीसा के अंकेक्षण दौरान समिति द्वारा केवल 15वें वित्तायोग की रोकड़ बही का संधारण ही ऑनलाइन (e-gram स्वराज) माध्यम से किया गया था अन्य अनुदानों व स्वः-

स्त्रोत की रोकड़ बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से ही किया गया था जोकि उक्त आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 21-06-2025 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में अन्य अनुदानों व स्व:-स्त्रोतों की रोकड़ बहियों का संधारण ऑनलाइन किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: उक्त अनियमितता को नियमानुसार न्यायोचित ठहराये जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

4.4 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार पंचायत समिति द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2024-25 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे DPO, 5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही मेनुअल रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-04 दिनांक 21-06-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व:-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹0.32 लाख का अन्तर।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति तीसा द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(10)(ख) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹32118.18 का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-04 दिनांक 21-06-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की

जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया राशि ₹0.72 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** में प्रावधान है कि, पंचायत समिति का सचिव देखेगा कि, समस्त राजस्व सही ढंग से व अबिलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित, वसूल व सम्बन्धित समिति के खातों में जमा करवाया गया है।

पंचायत समिति तीसा के अंकेक्षण में पाया गया कि, समिति द्वारा छ: दुकानें किराये पर दी थी। इनमें सभी दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था तथा दिनांक 31-03-2025 तक निम्नविवरणानुसार कुल राशि ₹71800/- वसूली हेतु शेष है। इसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	**अथशेष**	**दुकानों की संख्या**	**दर प्रति /दुकान**	**वर्ष के दौरान माँग**	**कुल योग**	**वर्ष के दौरान वसूली**	**वसूली हेतु शेष बकाया**
2024-25	68500	06	700/ 1200	48000	116500	44700	71800

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 21-06-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, दुकानों के किराये की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर समिति द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः दुकान किराया की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 पंचायत समिति द्वारा किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

पंचायत समिति तीसा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार समिति के पास कुल छ: दुकानें हैं जोकि किरायेदारों को बिना किसी कमेटी गठन के आबंटित की गई थी एवं इन के

सम्बन्ध में न कोई अभिलेख तैयार किये गए थे एवं न ही निम्न वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं की गई है।

1. अधिकतर दुकानों का किराया समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है एवं इससे सम्बन्धित अभिलेखों/रजिस्टरों/खाताबही को तैयार नहीं किया जा रहा है जिससे कि बकाया राशि, मांग इत्यादि को सत्यापित नहीं किया जा सका।

2. किराये का निर्धारण नियमानुसार नहीं किया गया है एवं किरायेदारों के साथ किये गए अनुबंधों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. पंचायत समिति की सम्पत्ति (दुकानों) को सरकारी दिशा-निर्देशों अनुसार किराये पर देने हेतु किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

4. समिति द्वारा दुकानों का किराया नियमित तौर पर नहीं वसूला जा रहा है एवं अंकेक्षण अवधि के अंत तक कुल राशि 71800 वसूली हेतु शेष थी।

इस गम्भीर अनियमितता के सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 21-06-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। इससे राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

पंचायत समिति तीसा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन समिति द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-04 दिनांक 21-06-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत समिति की सभी चल-

अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

8. पंचायत समिति के चेयरपर्सन हेतु प्रयुक्त टैक्सी किराये के व्यय में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(2)10/2004-05-H दिनांक 07-09-2021 के द्वारा पंचायत समिति निधि में से समिति के अध्यक्ष को **अधिकारिक दौरे व विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु निधि की उपलब्धतता** के अधीन महीने में अधिकतम 1000 किलोमीटर तक टैक्सी किराया दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

समिति के नमूना अंकेक्षण दौरान प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन में चेयरपर्सन हेतु प्रयुक्त टैक्सी में निम्नवर्णित विविध अनियमितताएं पाई गई इस सम्बन्ध में अपना पक्ष तथ्यों सहित शीघ्र ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये ताकि किये गए व्यय को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जा सके।

8.1 अनुमोदित दर से अधिक दर से भुगतान की कारण राशि ₹0.21 लाख का अधिक अनुचित भुगतान बारे।

उपायुक्त कार्यालय चम्बा के कार्यालय आदेश संख्या CBA-NZ-1(1)/2014-8519 दिनांक 14-12-2023 द्वारा सरकारी दिशा-निर्देशों के तहत आउटसोर्सिंग व्हीकल्स हेतु जिला चम्बा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न दरें (व्हीकल्स अनुसार) अनुमोदित की गई थी।

समिति के अंकेक्षण दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि, समिति द्वारा अध्यक्षा को ऑफिसियल टूरिंग एवं विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु विहित औपचारिकतायें पूर्ण किये बैगर ही महिंद्रा बोलेरो (6+1) HP 01 C 3335 वाहन किराये पर लिया गया था जिसका भुगतान समिति द्वारा 20 प्रति किलोमीटर तथा 300 प्रति नाईट चार्जेज के हिसाब से किया गया जबकि उक्त आदेशानुसार उक्त वाहन की अनुमोदित दर 16 प्रति किलोमीटर तथा 250 प्रति नाईट चार्जिज अनुमोदित/निर्धारित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप निम्नविवरणानुसार राशि ₹20890 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

Sr. No.	Vr. No/ Date	Total Distance	Actual Rate Charged	Maximum approved Rate	Excess Amount
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4-5)
M/S Dinesh Kumar Vehicle No. HP 01 C 3335 For August 2024 to December 2024 Model Bolero 6+1					
1.	25/30-01-2025	990+1000+980+990+1000 = 4960 km 4+5+4+4+4=21days	4960km@20 99200 21@300 =6300 **Total=105500**	4960km@16 79360 21@250=5250 **Total =84610**	**Rs20890**

उक्त गम्भीर प्रकरण के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 21-06-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: उक्त व्यय को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके शीघ्र ही खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.2 राशि ₹2.25 लाख के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

पंचायत समिति के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति निधि से समिति की अध्यक्षा को ऑफिसियल टूरिंग व विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु महिंद्रा बोलेरो (6+1) HP 44-5119 वाहन किराये पर लिया गया था जिसके एवज में राशि ₹225275 का भुगतान दिनांक 07-06-2024 को वाउचर संख्या 02 रोकड़बही पृष्ट संख्या 96 मैं० चमेली देवी को किया गया था। अंकेक्षण अवलोकन में यह पाया गया कि, लॉग बुक व अन्य अभिलेखों में यात्रा का उदेश्य, निरीक्षण किये गये कार्यों का नाम, विवरण नहीं दिया गया था जिससे कि यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि जो यात्रा की गई थी वे केवल अधिकारिक थी तथा उन स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु ही की गई थी। उक्त के अतिरिक्त अधिकतर यात्राएँ पंचायत समिति के कार्यालय से शुरू व समाप्त न होकर अन्य बौंदेड़ी से शुरू व समाप्त की गई थी जोकि समिति कार्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति है। गत अंकेक्षण में भी इस बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु वर्तमान अंकेक्षण दौरान इसकी पुनरावृत्ति किया जाना अनुचित व आपत्तिजनक प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 21-06-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, इस सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्ररतुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अनियमितताओं को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा किये गए उक्त व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए।

8.3 राशि ₹1.04 लाख के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

पंचायत समिति के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, निधि से निम्नविवरणानुसार राशि ₹104300 का भुगतान वाहन किराये के तौर पर मै० लक्षमण सिंह को दर्शया गया है परन्तु उक्त वाहन की पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई तथा निरीक्षण किये गए कार्यों का नाम व विवरण भी नहीं दिया गया था जिसके अभाव में वाहन की भुगतान की गई दर की पुष्टि

नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त उक्त वाहन को किराये पर लेने हेतु किसी प्रकार की विहित औपचारिकताओं से सम्बन्धित अभिलेखों को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त वांछित अभिलेखों के अभाव में किये गए व्यय को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

M/S Luxman Singh Vehicle No. T 0524 HP 6581 For March 2024 to July 2024				
1.	14/ 13-09-24	980+1000+965+995+990 = 4930 km 4+4+4+3+4=19days	4930km@20 98600 19@300 =5700 **Total=104300**	**Vehicle Record not available**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 21-06-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, कार्यालय में सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं है मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अनियमितताओं को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा किये गए उक्त व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए।

8.4 अन्य विविध अनियमितताओं बारे।

पंचायत समिति तीसा के नमूना अंकेक्षण दौरान प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत समिति की अध्यक्षा हेतु प्रयुक्त किराये पर ली गई टैक्सी की समस्त यात्रायें समिति के कार्यालय से शुरू व समाप्त न होकर किसी अन्य स्थान बौंदेड़ी जिसकी एक तरफा दूरी समिति कार्यालय से 35 किलोमीटर दर्शाई गई है से शुरू व समाप्त की गई है। चूँकि उक्त टैक्सी का प्रावधान केवल ऑफिसियल टूरिंग हेतु ही किया गया था जबकि उक्त तथ्यों के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य स्थान बौंदेड़ी हेतु आने जाने हेतु दर्शाई गई यात्रा केवल निजी यात्रा थी न कि ऑफिसियल।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 21-06-2025 का कोई भी उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। अत: उक्त अनियमितता को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अथवा अधिकारिक यात्रा के अतिरिक्त यात्रा पर हुए व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाए अन्यथा अनियमित व्यय की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाये। कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.5 किये गए व्यय हेतु अनुमोदित बजट प्रति प्रस्तुत न करने बारे।

हि०प्र० सरकार द्वारा जारी पत्र अनुसार समिति अध्यक्ष को **अधिकारिक दौरे व विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु निधि की उपलब्धतता उपरान्त** टैक्सी किराये हेतु अधिकृत किया गया

था परन्तु सचिव से बार-बार आग्रह उपरान्त भी उक्त व्यय के बजट अनुमोदन की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त व्यय केवल बजट प्रावधानों के उपरान्त ही किया गया है अथवा नहीं ?

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 21-06-2025 का कोई भी उत्तर व अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। गत अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2024 में भी समिति के बजट की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी अतः उक्त अनियमितता की पुनरावृत्ति किया जाना संदिग्ध व अनुचित प्रतीत होता है। मामले में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.1 सभा निधि से आपूर्तिकर्ता को राशि ₹0.28 लाख का अनुचित भुगतान करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर-9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

पंचायत समिति के नमूना अंकेक्षण दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि, वाउचर संख्या 16 दिनांक 16-10-2024 रोकड़ बही पृष्ट संख्या 102 राशि ₹ 28000 का भुगतान मै०नवीन ठाकुर को उनके बिल संख्या 96, 97 व 98 के एवज में दिनांक 16-10-2024 RTGS संख्या 6619 दिनांक 24-01-2025 जोकि रोकड़ बही पृष्ट संख्या 105 दिनांक 10-03-2025 को दर्ज है के माध्यम से दोबारा किया गया। जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 21-06-2025 द्वारा उक्त गम्भीर प्रकरण समिति के समक्ष लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, गलती से राशि ₹28000 का भुगतान आपूर्तिकर्ता के खाते में दो बार हो गया है शीघ्र ही इसकी प्रतिपूर्ति करके खाते में जमा करवा दी जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आंतरिक जाँच प्रणाली सुदृढ़ नहीं है जिस कारण उक्त गलत भुगतान किया गया। अतः उक्त मामले में शीघ्र ही राशि की प्रतिपूर्ति नियमानुसार करके खाते में जमा करवाया जाये तथा इस प्रकार के अन्य मामलों की जाँच विभागीय स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.2 सरकार द्वारा खान-पान हेतु निर्धारित दरों से अधिक दरों से भुगतान करने के कारण राशि ₹1880 का अधिक/अनियमित व्यय करने बारे।

प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग हि०प्र० सरकार के पत्र संख्या PCH-HA(S)C(15) Hospatility/ ZP/PS दिनांक 14-10-2013 के अंतर्गत पंचायत समिति की बैठकों में वर्किंग

लंच ₹175 प्रति प्रतिभागी तथा टी व सनेक्स ₹40 प्रति प्रतिभागी के हिसाब से दरें निर्धारित की गई थी।

पंचायत समिति तीसा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा उक्त पत्र में निर्धारित दरों से अधिक दरों से भुगतान करने के कारण स्व-स्त्रोत (सभा निधि) से निम्नविवरणानुसार राशि ₹1880 का अधिक भुगतान किया गया।

Vr. No./ Date	**Material**	**Qty./rate actual paid**	**Qty. /Rate should be paid**	**Excess Paid**	**Supplier' Detail**
16/ 16-10-24	Tea & Snacks	128 No.@50 = Rs6400	128 No.@40 =Rs5120	128@10 = Rs1280	M/S Naveen Thakur VPO Bhanjraru, Tissa Chamba (H.P.)
22/ 24-01-25	Tea & Snacks	60 No.@50 = Rs3000	60 No.@40 =Rs2400	60@10 = Rs600	
	Total	**188 No. @50 = ₹9400**	**188 No.@40 =₹7520**	**128@10 = ₹1880**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 21-06-2025 द्वारा उक्त अनियमिता के सन्दर्भ में वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, राशि की प्रतिपूर्ति करके जमा करवा दी जाएगी। अत: उक्त अधिक किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही सम्बन्धित खाते में जमा करवाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

9.3 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹0.42 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति तीसा, द्वारा निम्नविवरणानुसार राशि ₹**42300**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय कुटेशन आमंत्रित किये बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि, पंचायत समिति को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती

राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

Sr. No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier Detail	Amount
1.Own Source	16/ 16-10-24	Lunch & Tea	128@175 128@50	M/S Naveen Thakur, Tissa Chamba	28800
2.Own Source	22/ 24-01-24	Lunch & Tea	60@175 60@50	M/S Naveen Thakur, Tissa Chamba	13500
				Total	**42300**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-03 दिनांक 21-06-2025 द्वारा उक्त प्रकरण समिति के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से राज्य लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

10. महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **<u>नियम 29 से 31</u>** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **<u>नियम 34</u>** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	संधारित नहीं
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं

3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-04 दिनांक 21-06-2025 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत समिति तीसा की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-04 दिनांक 21-06-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत समिति के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की संभावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 04.X.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

6465-6468 का0/58 04 OCT 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (7) 161/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत

4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

04 OCT 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 04.X.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0/58

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of Panchayat Smiti Tissa for the Year ~~2021-2022 To 2023-2024~~ 2024-2025

1. Own Source (3rd/5th SFC, DPO etc.)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	1193284.00	624334.00	1817618.00	1112727.00	704891.00

2. Grants in aid (RGSA)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	3422.00	96.00	3518.00	0.00	3518.00

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत समिति तीसा में उपरोक्त विवरण अनुसार कुल दो मेनुअल रोकड़बहियों का संधारण किया जा रहा है ।

(1+2)	Closing balance as per Cash Book as on 31-03-2025 (704891+ 3518)	708409.00
	Closing balance as per Bank Passbooks(detail given below) as on 31-03-2025	740527.18
	Net Difference (Less in Bank Pass book)	-32118.18

Detail of Closing Bank Balances as on 31-03-2024 in r/o Panchayat Smiti Tissa Chamba (H.P.)

Sr. No.	Head/Grant	Bank Account No.	Bank Name	Balances as on 31-03-2025
1	RGSA	17710114416	HPSCB Bhanjraru	3518.00
2	Own Sources, DPO,3rd/5th SFC	17710103237	HPSCB Bhanjraru	737009.18
			Cash in hand	0.00
			Total	740527.18

सचिव
पंचायत समिति तीसा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

		परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित					
Financial Position Grants in Aids of Panchayat Smiti Tissa for the Year to ~~2021-2022 To 2023-2024~~ 2024 – 2025							
Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	RGSA	2024-25	3422.00	96.00	3518.00	0.00	3518.00

सचिव
पंचायत समिति तीसा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट "3" पैरा संख्या "6.1" में संदर्भित

क्रमांक	दुकानदार का नाम व पता	दुकानों की संख्या	मासिक किराया	गत शेष	बर्ष 2024-25 की मांग	कुल मांग	वर्ष में वसूल राशि	शेष बकाया राशि
1	श्री रमेश कुमार	1	700		8400	8400	8400	NIL
2	श्री हेम राज	1	700	4200	8400	12600	8400	4200
3	श्री राम दयाल	1	700	2100	8400	10500	6300	4200
4	श्री मति होशियारू देवी	2	1200	15400	14400	29800	21600	8200
5	गुरुदियाल	1	700	46800	8400	55200	NIL	55200
	कुल योग	6	**4000**	**68500**	**48000**	**116500**	**44700**	**71800**

सचिव
पंचायत समिति तीसा
जिला चम्बा (हि०प्र०)

(19)

161